घर-घर
औषधि योजना

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांकः प. 1 (20) वन/2022 जयपुर, दिनांकः– 07 MAR 2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर।

विषयः– Diversion of 0.0435 ha. of forest land in favour of Hindustan Petroleum Corporation Ltd for Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Barmer- Sanchor Road NH-68 (RHS) on Khasra No-2684/2195 & 3147/2195 (Patta No F-8/90A/2013/15164) Chainage 157/766 to157/786, At Village – Barmer Gadan Tehsil & District – Barmer(Rajasthan). (FP/RJ/Approach/146453/2021)

संदर्भः–आपका पत्रांक एफ 14 (487/42)2021/एफसीए/प्रमुवस/420 दिनांक 25.01.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में हिन्दूस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा–2 में एन. एच–68 (RHS) स्टोन के खसरा नम्बर 2684/2195 एवं 3147/2195 (पट्टा संख्या एफ 8/90ए/2013/15164) Chainage 157/766 to157/786 ग्राम बाडमेर गादान, तहसील एवं जिला बाडमेर में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के प्रवेश एवं निकास हेतु 0.0435 हेक्टयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा–2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा–निर्देशों के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.0435 ha. of forest land in favour of Hindustan Petroleum Corporation Ltd for Construction of Approach Access for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Retail Outlet on Barmer- Sanchor Road NH-68 (RHS) on Khasra No-2684/2195 & 3147/2195 (Patta No F-8/90A/2013/15164) Chainage 157/766 to157/786, At Village -- Barmer Gadan Tehsil & District – Barmer(Rajasthan) की सैद्वान्तिक स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान करती हैः–

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षो वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगे।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पडे स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनो मार्गो के बीच के स्थान (separator island) पर कम से कम 2 फीट ऊची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हे संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।
9. **प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्वान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सटिर्फिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।**

कार्यालय पताः– वन विभाग कार्यालय , कमरा नम्बर 8324 , उत्तरी पश्चिमी भवन, सचिवालय, राजस्थान जयपुर, दूरभाष संख्या– 0141–2227762
Mail ID ads.forest@rajasthan.gov.in

भीम BHIM

घर-घर
औषधि योजना

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

10. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अनापत्ति प्रस्तुत करावेगा।

11. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।

12. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षो का पातन होने पर 100 वृक्षो तथा 10 से अधिक वृक्षो का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षो का दस गुना संख्या में वृक्षो का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearence Portal) द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा की जायेगी।

13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12–2/2010–CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के बेवपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरांत ई–चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।

14. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।

15. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।

16. भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(बी. प्रवीण)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अपर वन महानिदेशक–वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली–110003
2. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर कक्ष संख्या बी–ब्लॉक, अरण्य भवन झालाना, जयपुर।
3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रकार के प्रकरणों में जारी की गई स्वीकृतियों की मासिक सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जावे।
4. मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर।
5. जिला कलेक्टर, बाडमेर।।
6. उप वन संरक्षक, बाडमेर।
7. उप प्रबंधक हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जोधपुर रिटेल क्षेत्रीय, भवगती की कोटी, डिजल रेश रोड, जोधपुर–342005
8. रक्षित पत्रावली।

(लखन सिंह)
विशेषाधिकारी